(274) (898)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक R. 2627-दो/14

(समक्ष-सर्किट कोर्ट रीवा)

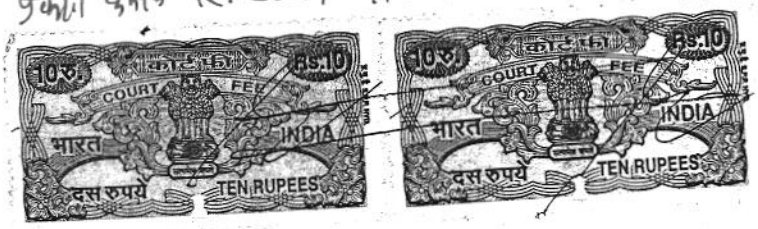

Rs. 20/-

कमलेश प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व.श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी उम्र-65वर्ष, निवासी- आदर्श नगर, वार्ड क्रमॉक-13 नई गल्ला मण्डी के पीछे, पोस्ट बिरला विकास, तहसील- रघुराजनगर, थाना- कोलगवां, जिला- सतना म.प्र.

--------निगरानीकर्ता

R. 2627-II/14

बनाम

राजेश शर्मा तनय जानकी प्रसाद शर्मा साकिन कोलगवां, थाना- कोलगवां, तहसील- रघुराजनगर, जिला- सतना म.प्र.

---------गैरनिगरानीकर्ता

श्री ...तिवारी एड. के द्वारा आज दिनांक 25-7-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2518
... आज
... को प्राप्त
... 28/7/14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील-रघुराजनगर, जिला- सतना म.प्र. के प्रकरण क्रमॉक- 5A12/2013-14 मे पारित सीमांकन पुष्टीकरण आदेश दिनांक-20.12.2013

निगरानी अर्न्तगत धारा-50म.प्र.भू-रा.सं.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निगराधीन आदेश दिनांक- 20.12.2013 विधि, प्रक्रिया एवं स्थापित न्याय सिद्धान्त व नियम के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि प्रकरण मे संलग्न प्रदर्श पी-4 की सूचना दिनांक-23.12.12 मे निगरानीकर्ता कमलेश प्रसाद चतुर्वेदी का नाम अंकित है लेकिन इस दस्तावेज के अवलोकन से यह दर्शित नही होता की प्रदर्श पी-4 की सूचना निगरानीकर्ता को दी गई थी, उक्त सूचना दिनांक- 23.12.2012 मे निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नही है और न ही इस बात की कोई टीप अंकित है कि निगरानीकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करने एवं हस्ताक्षर बनाने से मना किया गया, ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि सीमांकन की कोई सूचना निगरानीकर्ता को नही दी गई थी और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निगराधीन आदेश दिनांक-20.12.2013 निरस्त किये जाने योग्य है।

कमलेश

(274)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 2627-ले 1/14 जिला सतना

कमलेश प्रसाद चतुर्वेदी विरूद्ध राजेश शर्मा

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री नरेन्द्र त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह ~~नक्शा~~ तहसीलदार तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-12-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	